श्री कड़िया मुंडा : सभापति जी, इस संबंध में जो नॉर्म्स बनाए गए हैं जमीन अधिग्रहण करने के बाद जो सुविधाएं दी जानी चाहिएं, निश्चितरूप से कोल इंडिया इसका पूरी तरह से पालन करती है।

Registration of Dowry Cases

*126. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Delhi Police had issued circular/instructions that a case of dowry can not be registered without inquiry from the Crime Against Women Cell;

(b) if so, the details thereof;

(c) the cases registered district-wise and year-wise after 1999 without inquiry by the Crime Against Women Cell and reasons therefor; and

(d) the number of cases which had been registered after 7 years of marriage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The number of cases registered district-wise, during the period from 1st January, 2000 to 30th November, 2003 without inquiry by the Crime Against Women Cells is given in the Statement I enclosed (*See* below). The setting up of the Crime Against Women Cell has not diluted the responsibility of the local police to initiate action as and when a victim approaches them for assistance. Both the Crime Against Women Cell and the local police are competent to register and investigate cases of crime against women reported to them.

(d) Delhi Police have during the period from 1st January, 2003 to 30th November, 2003 registered 655 such dowry related cases.

Statement-I

Statement Indicating Number of Dowry Related cases Registered without Enquiry by CAW Cell during the period from 1st January, 2000 to 30th November, 2003

District	2000				2001				2002				2003 (upto 30-11-03)			
	498-A	498-A/406	498-A/304	406	498-A	498-A/406	498-A/304	406	498-A	498-A/406	498-A/304	406	498-A	498-A/406	498-A/304	406
North	2	13	7	2	0	17	7	0	0	8	3	7	1	2	3	2
North West	6	16	24	0	12	32	23	0	9	16	26	0	8	14	21	0
Central	1	7	6	0	1	3	4	0	5	18	2	0	4	6	4	0
New Delhi	1	7	0	0	1	4	0	0	2	6	0	0	1	5	0	0
North East	9	31	15	1	7	28	19	1	13	36	12	0	6	14	18	0
East	12	17	14	0	24	50	11	0	14	16	21	1	0	11	8	0
South	14	43	17	1	11	31	15	1	17	37	23	4	12	24	21	0
South West	8	47	19	2	19	110	16	0	14	86	20	0	15	7	9	4
West	6	65	15	0	6	48	17	1	7	57	21	0	2	5	8	2
TOTAL	59	246	117	6	81	323	112	3	81	280	128	12	49	88	92	8

श्री रमा शंकर कौशिक: महोदय मेरे प्रश्न के 'क' भाग में मैंने पूछा था कि क्या कोई नोटिस या परिपत्र दिल्ली पुलिस ने जारी किया है जिसमें दहेज के मामले में जो महिलाओं का अपराध प्रकोस्ठ बना हुआ है, उसकी राय ली जाएगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कोई परिपत्र नहीं था। क्या ऐसी कोई समझ पैदा की गई थी कि क्या उसको किया जाए? एक और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के 'घ' भाग में उत्तर दिया है कि ऐसे केसेज जिनके विवाह को सात वर्ष से अधिक हो चुके थे, 11 महीनें में दिल्ली पुलिस ने 655 दर्ज किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक तो यह जानना चाहता हूं कि वे कृपया यह बताएं परिपत्र न हो, लेकिन क्या ऐसी समझ पैदा हुई थी कि महिला प्रकोस्ठ में पहले जांच कराई जाए, उसके बाद उसकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज की जाए या नहीं और दूसरा यह कि 655 केसेज जो शादी के सात वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद दर्ज किए गए उनका क्या औचित्य है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: चेयरमैन सर, इनफैक्ट असलियत तो यह है कि सभी केसेज पुलिस स्टेशन में दर्ज होने की बात है। क्राइम फोर वीमेन सैल स्पेशली इसीलिए दिल्ली में फंक्शन कर रहा है। वीमेन्स के केसेज में स्ट्रेंड रिलेशन्स की वजह से कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं कि डैथ भी न हुई हो, थोड़ी बहुत इंजरी आई हो तो उसमें उनकी यह कोशिश होती है कि रि-कंसीलिएशन किसी तरह से हो जाए और री-कंसीलिएशन नहीं होता तो पर्चा दाखिल कर दिया जाए। लेकिन ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन्स हैं कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन सैल में ही उनके बगैर कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा, पर्चे दर्ज होते हैं। जो आनरेबुल मैम्बर का सात साल वाला सवाल है, उसमें सात साल तक की अवधि में अगर कोई डाउरी का केस आता है तो वह सीरियस आफैन्स है। सात साल के बाद भी डाउरी की कोई बात आती है तो उन केसेज में भी प्रोसिजर वही है कि उसी तरह पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर होगा और क्राइम फार दी वीमेन सैल में उसको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन The women are free. वे वहां जाकर अपनी कम्पलेंट दर्ज कर दें। या पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दें, यह उनकी अपनी अपनी इच्छा है।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम भी जानते हैं और शायद माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग के चलते ऐसी स्थिति भी आती है कि नाबालिगों के नाम दर्ज किए जाते हैं, रिलेशन्स, जो दूर-दूर के रिलेशन्स में होते हैं उनके नाम भी दर्ज किए जाते हैं। यहां तक कि विभिन्न अदालतों ने भी इस बात को कहा है कि हां, इसका दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने अपनी जो ऑब्जर्वेशन्स दी हैं वे यही दी हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। रिलेटिव्स के साथ और माइनर लोगों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इसका जो उद्देश्य था, वह था कि शादियां न टूटने पाएं, ठीक हो जाएं लेकिन इसका विपरीत असर पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अदालतों की राय को देखते हुए और विशेष रूप से दिल्ली हाई कोर्ट की राय को देखते हुए कि इस कानून में परिवर्तन आवश्यक है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभापति जी, यह बात और ऑनरेबल मैम्बर की चिंता बिल्कुल सही है, यह पेपर्स में भी निकलता रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट में भी अपनी ऐसी ऑब्जर्वेशन्स दी हैं और हमारे रोज के अपने एक्सपीरिएंस और अनुभव में भी ये बातें आ रही हैं कि पूरे खानदान के ही नहीं बल्कि जो लोग वहां नहीं भी रहते हैं, कहीं और रहते हैं, सिस्टर्स हैं, मैरिड हो गई हैं, उनके नाम भी लिखवा देते हैं। सभापति जी, यह बात सही है। इसके लिए जस्टिस मलिमथ कमेटी की क्रिमिनल ज्यूडिशियल सिस्टम पर रिफार्म करने के लिए एक बड़ी रिपोर्ट आई है जो अब कंसीडर हो रही है। इसको सारी स्टेट्स को सर्कुलेट किया गया है क्योंकि कन्करेन्ट लिस्ट हैं। उनके व्यूज भी मांगे गए हैं। इसके बाद इसके बारे में भी जरूर विचार होगा।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, my question is, apart from these dowry related issues, the general situation in Delhi in so far as crime against women is concerned, is that the incidents of crime against women in Delhi are double or three times the combined number of crimes against women in all the other three Metros. Why is this happening? Everyday, we come to know that the Government is fine-tuning the mechanism to stop crime against women. But how is the Government going to explain this reising figure of crimes against women because Delhi is directly being controlled by the Government of India and the Home Ministry?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सभापति जी, ऑनरेबल मैम्बर ने जो चिंता व्यक्त की है, वह सही है लेकिन इसके लिए दिल्ली स्टेट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, यह उसके बारे में है। इसके लिए अलग से वीमेन सेल भी इसीलिए बनाया गया था। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी नाइन डिस्ट्रिक्ट्स में एक सेल बनाया गया है जो वीमेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। दूसरी बात यह है कि ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु : इसकी उपलब्धि क्या है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : दूसरी बात यह है कि मेजर्स लिए जा सकते हैं, उसका रीजन क्या है, शायद ये रीजन तो आप सभी को पता है कि करोड़ों की संख्या का एक शहर है, जहां हर तरह से लोग हैं,हर किस्म के लोग आ रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु : जहां तीन शहर हैं, उसकी कुल आबादी दिल्ली की कुल आबादी से कई गुना ज्यादा है इसके बावजूद भी तीन शहरों की अपराध की जो संख्या है, दिल्ली का अकेला अपराध उससे तीन गुना है। इसका कारण क्या है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत दिल्ली पुलिस सीधे काम करती है। हम हमेशा सुनते हैं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है, इसका जो कारण है उसका

कोई एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए। अगर इसके ऊपर सरकार का कोई चिंतन है तो उसको हाउस के अंदर जाहिर करना चाहिए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सभापति जी, इसका कारण जानने की बात तो बाद में देखी जाएगी लेकिन मैं ऑनरेबल मैम्बर को यह जरूर बताना चाहता हूं कि इन चीजों को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल एफर्ट्स किए हैं। जहां-जहां कॉलेजस हैं वहां और हमारी जो वैन्स घुमती हैं उनमें भी एक लेडी आफीसर को बिठाया गया है। जहां पुलिस स्टेशन हैं, वहां अलग से किसी न किसी लेडी ऑफीसर को लगाया गया है। ये सब चीजें इसीलिए की गई हैं। कॉन्टेक्ट प्रोग्राम के लिए कमेटी भी बनाई हैं, कैम्पस कम्पलेन्ट बॉक्सेस रखे गए हैं, रिव्यू कमेटी बनाई गई है जिसमें कैम्पस के ऑफीशियल्स भी शामिल किए गए हैं ताकि इन चीजों का इंसिदाद किया जा सके, इनको कर्ब किया जा सके, इनको कम किया जा सके। इनकी चिंता सही है लेकिन इसके लिए मेजर्स किए जा रहे हैं ताकि ये बढ़े नहीं, कम हों।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : *

श्री सभापति : किसी का रिकार्ड नहीं हो रहा है।

MISS MABEL RABELLO : Sir, in the reply it is stated that during the last three years only 655 cases are registered in Delhi. We read almost everyday, one or two dowry cases in the newpapers. The number of cases that are registered is grossly inadequate. Either the police is not registering them or the people still have fear to go to police stations to get their cases registered.

Secondly, I would like to know how many offenders have been punished out of the 655 cases registered? What sort of punishment is meted out to them? The punishment should be so deterrent that men should not have the guts to commit crime against women.

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : श्रीमन्, प्रश्न यह था कि यह क्राइम अगेंस्ट विमेन सैल जो बनाया गया है उसके बगैर पर्चा दर्ज नहीं होता, परन्तु पर्चे तो दर्ज होते हैं इसका जवाब तो आ गया था, लकिन जहां तक आनरेबल मैंबर यह कह रही हैं ...(**व्यवधान**)

कुमारी मैबल रिबैलो : सर ...(**व्यवधान**) 665 ...(**व्यवधान**) केसेज होते हैं ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति : आप बीच में मत बोलिए ...(**व्यवधान**) आप सुनिए तो सही ...(**व्यवधान**) बहुत गुस्से में आप बोल रही हैं।

*Not recorded

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : यह उनका कहना है कि लेडीज़ डर के मारे पर्चे दर्ज नहीं करा रहीं इसलिए क्राइम अगेंस्ट विमेन सैल बनाया गया, इसीलिए हर जिले में एक सैल बनाया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और पेट्रोलिंग के लिए जो जीपें घूमती हैं उनमें भी एक लेडी बैठाई गई और कंप्लेंट के लिए एक नो टॉल टेलीफोन नंबर भी दे दिया गया। यह कहना कि केसेज रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रहे हें, तो यह सही नहीं होगा।

श्री सभापति : श्रीमती सविता शारदा, आप बोलिए।

श्रीमती सविता शारदा : सभापति महोदय ...(**व्यवधान**)...

कुमारी मैबल रिबैलो : महोदय ...*

श्री सभापति : आपका कोई रेकॉर्ड नहीं हो रहा। ...(**व्यवधान**) आपका कोई रेकॉर्ड नहीं होगा। आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**) आप बोलिए, क्वश्चन पूछिए।

श्रीमती सविता शारदा : सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह महिलाओं का मामला है।

श्री सभापति : नहीं, महिलाओं का नहीं है। ...(**व्यवधान**) आप बैठ जाइये। ....इनका रेकार्ड नहीं होगा। आप बोलिए।

श्रीमती सविता शारदा : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ। कि क्राइम अगेंस्ट विमेन सैल जो बनाया हुआ है वह सभी राज्यों में नहीं है। ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति : बैठ जाइये, बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आपकी अदालत में बोलने नहीं दिया जायेगा तो किस अदालत में जायेंगे ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति : मैंने आपका रेकार्ड कर लिया है। आपका सब रेकॉर्ड कर लिया है ...(**व्यवधान**) मैंने आपकी बात रेकार्ड कर ली है। ...(**व्यवधान**) बस ठीक है। ...(**व्यवधान**) बस बैठ जाइए, आपकी भी रेकार्ड कर ली है। ...(**व्यवधान**) चलिए, बोलिए-बोलिए आप।

कुमारी मैबल रिबैलो :*

श्री सभापति : इनका रेकॉर्ड नहीं किया जाए। कोई रेकॉर्ड नहीं होगा। बोलिए।

श्रीमती सविता शारदा : सभापति महोदय, क्राइम अगेंस्ट विमेन सैल जो है वह सभी शहरों में नहीं है और यह बात बिल्कुल पक्की है, मैं यहां पर एक ...(**व्यवधान**)

---

* Not recorded.

श्री सभापति : कौन-सा ...(**व्यवधान**) कोई अपराध नहीं, अच्छा काम कर रही हैं। ...(**व्यवधान**)

श्री संजय निरुपम : इनकी शिकायत यह है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है वह दर्ज नहीं हो रहा है, लेकिन जो महिलाएं अपराध कर रही हैं वह भी दर्ज होना चाहिए।

श्री सभापति : नहीं कोई नहीं है। ...(**व्यवधान**)

कुमारी मैबल रिबैलो : *

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**) अगर आप इसी तरह से बोलती रहीं तो आपको आगे चांस नहीं दूंगा। ...(**व्यवधान**) यह आदत है इनकी मजाक करने की ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सविता शारदा : सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति : बोलने तो दो इनको। ...(**व्यवधान**)

SHRI ARJUN SINGH : With all seriousness, Sir, I would like to draw your attention. It appears that the Government is taking the whole thing very lightly and that is not what is required. While outside the House all of us speak in such a pontifical manner as if we are the only guardians for women, and here the attitude that I am seeing is not good. I seek your protection, Sir, (*Interruptions*)...

श्री सभापति : एक मिनट ठहरिए।

DR. KARAN SINGH : May I suggest, Sir ? Can we have half-an-hour discussion on this?

श्री सभापति : आप मुझे दीजिए। हां, अब आप बोलिए।

श्रीमती सविता शारदा : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि राज्य में कहां-कहां क्राइम अगेंस्ट विमेन सैल बने हुए हैं, सभापति महोदय, मुझे जरा समय दिया जाए, मैं यहां सिर्फ दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक, हमारे रिश्तेदारों के यहां ही ऐसे उनके जो ससुराल वाले थे, उनके बहुत ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति : इंडिविज्युअल केसेज़ को यहां मत लाएं।

*Not recorded.

श्रीमती सविता शारदा : सर, मैं वही बता रही हूं कि उच्च ओहदे पर होने के कारण उनके विरुद्ध एफआईआर दाखिल नहीं की गई और एक आदमी ऐसा है जिसके पिछले तीन सालों से मुझे लैटर आ रहे हैं कि न तो विमेन कमीशन, न क्राइम अगैंस्ट विमेन सैल वाले और न ही एफआईआर, कहीं उनकी फरियाद दाखिल नहीं हो रही है। वह आदमी बेचारा इतना दुखी है। दहेज के अगैंस्ट उसकी लड़की को मारा गया। लेकिन एफ आई आर भी दाखिल नहीं हो रही है। सर, इसके लिए मुझे मंत्री जी से यह पूछना है कि यह सात साल वाले जो केसेज हैं दहेज के और सात साल के बाद वाले इनमें भी बहुत सारे जो केस हैं वे सामने आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सर, जो स्पेसेफिक केस आनरेबल मैंबर ने प्वांयट आउट किए हैं, जिनकी जानकारी उन्हीं को है, अगर वह लिख कर भेज देंगी तो उनकी इन्क्वायरी जरूर करा ली जाएगी और जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि और स्टेट्स में कहां-कहां क्राइम अगैंस्ट वीमैन सेल्स हैं, महोदय यह प्रश्न दिल्ली के बारे में है और अगर माननीय सदस्या उसके लिए सेपरेट प्रश्न देंगी तो वह इंफॉर्मेशन भी उन्हें दे दी जाएगी।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन) द्वारा विदेशों में कारोबार

*127. **श्री लाजपत राय :†**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को विदेशों में कारोबार करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपनी घरेलू बाध्यताओं को पूरा कर लिया है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त उद्यम (जेब्री) में प्रवेश करने, वित्तीय संयुक्त उद्यम स्थापित करने, भारत एवं विदेश में कार्यालय खोलने तथा आरबीआई व यथोचित प्राधिकरणों के अनुमोदन के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण प्राप्त करने आदि के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) समेत कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को व्यापक

† सभा में यह प्रश्न श्री लाजपत राय द्वारा पूछा गया।